विवरण- II

1997 **की तदनुरूपी अवधि की तुलना में** 1998 **में रहे उपभोक्ता मूल्यो में प्रतिशत अतंर**

माह	मूंगफली तेल	सरसों तेल	वनस्पति
जनवरी	7.69	2.56	2.56
फरवरी	7.69	कोई परिवर्तन नहीं	5.26
मार्च	15.78	2.56	1.26
अप्रैल	26.31	15.78	13.92
मई	22.50	18.42	24.00

बीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान

1083. **श्री बरजिन्दर सिंह** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को भारी मात्रा में बकाया राशि का भुगतान शेष हैं;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 1997 को उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में कितनी-कितनी राशि का भुगतान शेष है,

(ग) क्या गत वर्षो में भी भुगतान बकाया रहा है, और

(घ) यदि हां, तो अक्टूबर 1994, अक्टूबर 1995 तथा अक्तूबर, 1996 में क्रमशः कितनी-कितनी राशि का भुगतान बकाया था क्या सरकार कोई स्थायी व्यवस्था स्थापित करने पर विचार कर रही है ताकि उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान शेष न रहे ?

नागरिक पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) चीनी मिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में 31.3.1998 को स्थिति के अनुसार चीनी मौसम 1997-98 (अक्तूबर सितम्बर) से संबंधित गन्ने के मूल्य की बकाया राशि निम्नानुसार थीः-

(आंकडें लाख रूपये में)

मौसम	31.3.98 को स्थिति के अनुसार देय गन्ने का कुल बकाया मूल्य	31.3.98 तक गन्ने का अदा किया गया मूल्य	31.3.98 को स्थिति अनुसार बकाया राशि	कुल देय धन-राशि के प्राति बकाया राशि की प्रतिशतता
1997-98	583155.88	507258.88	75897.00	13.01

पिराई अवधि के दौरान, जब खरीदे गए गन्ने की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, तब गन्ना मूल्य की बकाया राशि में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है जो मौसम के अन्त तक धीरे-धीरे काफी कम हो जाती है ।

(ख) उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में मौसम 1996-97 के लिए गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की स्थिति निम्नानुसार थी:-

(आंकडें लाख रूपये में)

राज्य	31.10.97 **को स्थिति के अनुसार गन्ना मूल्य की देय बकाया राशि**	31.10.97 **को स्थिति के अनुसार देय गन्ना मूल्य की बकाया धनराशिकी प्रतिशतता**
उत्तर प्रदेश	12991.10	5.04
तमिलनाडु	2241.42	3.36
महाराष्ट्र	487.80	0.29
पंजाब	2638.00	5.86
कर्नाटक	1016.00	2.19

(d) जी, हां।

(e) अक्टूबर, 1994 अक्तूबर, 1995 और अक्तूबर, 1996 के दौरान गन्ने के मूल्य बकाया धनराशि का स्थिति निम्रानुसार थी :-

राज्य	**देय गन्ना मूल्य की बकाया राशि**					
	1993-94 मौसम के लिए 31.10.94 को स्थिति के अनुसार (लाख रू0 में)	बकाया की प्रतिशतता	1994-95 मौसम के लिए 31.10.94 को स्थिति के अनुसार (लाख रू0 में)	बकाया की प्रतिशतता	1995-96 मौसम के लिए 31.10.94 को स्थिति के अनुसार (लाख रू0 में)	
उत्तर प्रदेश	2049.92	1.33	4440.67	1.84	26564.99	8.34
तमिलनाडु	133.64	0.23	2580.16	2.29	6721.77	6.99
महाराष्ट्र	1045.96	0.64	917.84	0.35	2712.19	0.91
पंजाब	2.00	0.01	शून्य	--	5292.29	10.79
कर्नाटक	1694.07	3.61	2133.08	3.23	6314.65	9.17

गन्ने के मूल्य के देय राशियों का समय पर भुगतान करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जिसके पास ऐसे भुगतान करवाने के लिए आवश्यक शक्तियां और फील्ड संगठन है। केन्द्रीय सराकर ने चीनी फैक्ट्रियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए अपनी ओर से समय-समय पर शीघ्र और देर तक पेराई करने के लिए प्रोत्साहन देने, बफर स्टाक सृजित करने, चीनी के निर्यात की अनुमति देने, बैंको से अधिक ऋण लेने के लिए चीनी फैक्ट्रियों को सक्षम बनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धन्तों में संशोधन करने और पात्र फैक्ट्रियों के लिए अतिरिक्त मुक्त बिक्री की चीनी रिलीज करने जैसे उपाय किए हैं ताकि चीनी फैक्ट्रियां किसानों की बकाया राशि का भुगतान कर सकें। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार इस संबंध में कड़ी निगरानी रखती है और गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का तत्परता से भुगतान करने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर परामर्श देती है।